एच-1 बी, एच-4 वीज़ा पर लड़ाई

लेखक - करिश्मा मेहरोत्रा (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

12 नवंबर, 2019

"अमेरिका में एक महत्त्वपूर्ण मुकदमे के केंद्र में एच-1 बी और एच-4 वीज़ा, लंबे समय से अमेरिका में भारतीयों के लिए एक आम मार्ग के रूप में काम कर रहा है। 2018 में 4,19,637 एच-1 बी आवेदनों में से 74 प्रतिशत भारत से आए थे।"

अमेरिका में एच-1बी वीज़ा पर काम करने वाले हजारों भारतीयों को तात्कालिक राहत मिली है। अमेरिका की अदालत ने ओबामा सरकार के उस नियम को रद्द करने से इंकार कर दिया है, जिसके तहत एच-1बी वीज़ा धारक भारतीय पेशेवरों के पति या पत्नी को वहाँ काम करने की अनुमति मिली हुई है। कोलंबिया सर्किट जिले की अपीलीय अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को इस मामले को वापस निचली अदालत में भेज दिया और उससे पूरी तरह से सोच-विचार कर इस पर अंतिम फैसला लेने को कहा।

H-1B और H-4 वीज़ा क्या हैं?

लॉटरी आधारित H-1B वीज़ा अमेरिकी कंपनियों को तीन साल के लिए विशेष व्यवसायों में अस्थायी रूप से विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देता है, जो छह साल तक बढ़ सकता है। 85,000 वीज़ा एक वर्ष में जारी किया जाता है, लेकिन कुछ नियोक्ता जैसे विश्वविद्यालय और अनुसंधान गैर-लाभकारी को छूट मिली हुई है।

H-1B श्रमिकों के पति या पत्नी को H-4 वीज़ा दिया जाता है, जिसके माध्यम से कुछ को बराक ओबामा-युग 2015 के कानून के बाद से अमेरिका में काम करने के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई है। जब से यह कानून बनाया गया है, कुल 1, 20,514 H-4 वीज़ा दिए जा चुके हैं, जिनमें से 1, 10,649 भारत से आए हैं। शुरू में स्वीकृत किए गए 90,946 में से 84,935 महिलाएँ थीं।

H-1B वीजा लंबे समय से अमेरिका में भारतीयों के लिए एक आम मार्ग रहा है। 2018 में 4,19,637 H-1B अनुप्रयोगों में से 74% भारत से थे। अधिकांश लाभार्थी 25-34 आयु वर्ग के हैं और कम्प्यूटर से जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

क्या था अमेरिकी मुकदमा?

सेव जॉब्स यूएसए मुकदमा मूल रूप से 2015 में दो आईटी कर्मचारियों और एक सिस्टम विश्लेषक द्वारा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के खिलाफ दायर किया गया था। उनके हलफनामों में कहा गया है कि उन्होंने दक्षिणी कैलिफोर्निया एडिसन में 15 साल से अधिक काम किया, जब तक कि उन्हें निकाल नहीं दिया गया और एच-1 वीजा धारकों द्वारा बदल दिया गया।

मुकदमे में तर्क दिया गया है कि एच-4 कार्य प्राधिकरण आव्रजन कानून का उल्लंघन करता है और होमलैंड सिक्योरिटी के अधिकार से अधिक है।

2016 में अभियोगी जिला अदालत में हार गए, जिसके बाद वाशिंगटन डीसी के संघीय अदालत में अपील की। ओबामा और ट्रम्प प्रशासन के बीच संक्रमण के दौरान, अपीलीय अदालत में इस मामले को रखा क्योंकि नया प्रशासन कार्य प्राधिकरण को समाप्त करने पर विचार कर रहा था।

होमलैंड सिक्योरिटी ने सितंबर 2019 में एक ज्ञापन सौंपकर मौखिक तर्क पर पकड़ बनाने का अनुरोध किया, जबकि उन्होंने एच-4 कार्य प्राधिकरण को खत्म करने के लिए प्रस्तावित नियम को लाया। होमलैंड सिक्योरिटी ने एच-4 वीजा पति-पत्नी नियम को बसंत ऋतु 2020 तक खत्म करने के पहल में देरी की है।

कोर्ट में दलीलें क्या थीं?

अदालत ने दिसंबर 2018 में इस मामले पर फिर से चर्चा की। यहाँ पूर्व तकनीकी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने तर्क दिया कि अमेरिकी श्रमिकों को नौकरी बाजार में विदेशी श्रमिकों के प्रवेश से नुकसान हुआ है।

होमलैंड सिक्योरिटी ने बताया कि अभियोगी को होने वाला नुकसान एच-1 बी कार्यक्रम के कारण था, न कि पति-पत्नी को दिए गए कार्य प्राधिकरण से। उन्होंने तर्क दिया कि तकनीकी कर्मचारियों और एच-4 वीज़ा धारकों के बीच कोई सीधी प्रतिस्पर्धा नहीं थी। उस समय के न्यायाधीशों ने भी चिंता व्यक्त की थी कि नौकरी की प्रतिस्पर्धा के प्रमाण वास्तविक थे।

अदालत में बहस के दौरान, एक संक्षिप्त तर्क यह दिया गया कि आर्थिक विकास के लिए H-4 कार्य प्राधिकरण आर्थिक विकास में सहायक साबित होगा, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग परिषद, यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स और नेशनल एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने कहा कि कार्य प्राधिकरण ने जीडीपी में 5.5 बिलियन से 13 बिलियन डॉलर और कर राजस्व में लगभग 2.4 बिलियन डॉलर जोड़े हैं। इसके अलावा, H-4 पति-पत्नी ने अमेरिका में लगभग 6,800 पदों का सृजन किया है और 5,500 से 8,200 नौकरियों को रद्द कर दिया है, जो अमेरिकियों द्वारा भरे जाएंगे यदि विदेशी श्रमिकों को काम करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

तो पिछले हफ्ते क्या हुआ था?

शुक्रवार का फैसला वाशिंगटन डीसी सर्किट में तीन न्यायाधीशों के पैनल से आया। न्यायाधीशों ने होमलैंड सिक्योरिटी से असहमति जताई, कोर्ट ने कहा कि सरकार का कहना था, कि एच-1 बी वीजा धारक नागरिकों और उनके परिवारों को ग्रीन कार्ड पाने में अक्सर विलंब का सामना करना पड़ता है। इस कारण काम करने में ऐसे नागरिकों को व्यक्तिगत और आर्थिक कष्ट झेलना पड़ता है। होमलैंड सिक्युरिटी विभाग ने इस नियम में संशोधन करने की माँग की थी।

उनका कहना था कि इसमें संशोधन होने से अमेरिकी व्यवसायियों को काम करने में कम समस्याएँ होंगी। हालाँकि सत्तारूढ़ का कहना है कि तकनीकी कर्मचारियों को एच-4 कार्य प्राधिकरण से बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, मुकदमे पर अंतिम फैसला एक निचली अदालत द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

समय के साथ H-1B कैसे बदल गया है?

ट्रम्प प्रशासन ने कार्यकारी आदेश बाई अमेरिकन एंड हायर अमेरिकन (Buy American and Hire American) के तहत दृष्टिगत रूप से H-1B वीज़ा पर उठ रहे विवाद को नकार दिया है। H-4 वीज़ा भी काफी कम दर पर जारी किया गया है, जिसमें प्रारंभिक अनुमोदन 2016 में 31,017 से 2017 में 27,275 से 2019 और 6,800 हो गया है।

अगस्त में, श्रम विभाग ने पहली बार उन कंपनियों के नाम जारी किए, जहाँ एच-1 बी वीज़ा धारक काम कर रहे हैं, भले ही वे तीसरे पक्ष के कर्मचारी या आउटसोर्सिंग फर्म द्वारा नियोजित हों।

भारतीय आउटसोर्सिंग कॉरपोरेट्स जैसे टाटा, इंफोसिस और विप्रो ने 2015-19 से 28% -46% तक वीजा आवेदन के खारिज होने का सामना किया। अर्नस्ट एंड यंग, डेलोइट, और कॉग्निजेंट जैसी अमेरिकी-आधारित कंपनियों ने 18% -52% अस्वीकृति दर देखीं, लेकिन अमेरिकन फाउंडेशन फॉर नेशनल पॉलिसी की एक रिपोर्ट के अनुसार । Apple, Google और Facebook जैसी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों ने उस समय की अवधि में H-1B वीजा अनुमोदन में थोड़ा बदलाव किया।

फिर भी, बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियाँ बढ़े हुए अस्वीकारों से प्रभावित हुई हैं। इनमें से कईयों ने प्रभावित हुए आउटसोर्सिंग कंपनियों से अनुबंध श्रमिकों को हायर किया है, जिसका अर्थ है कि बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों को कम विदेशी श्रमिक मजदूरी के बजाय अमेरिकी बाजार मजदूरी का भुगतान करना होगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रम्प प्रशासन अच्छी तरह से शिक्षित विदेशी नागरिकों के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग में अमेरिका में काम करने के लिए इसे और अधिक कठिन बनाना चाहता है।

GS World टीम...

H-1B वीजा

चर्चा में क्यों?

- अमेरिका में रहने वाले हजारों भारतीयों को राहत मिली है। बराक ओबामा प्रशासन के समय में एच-1बी (एच-1बी) वीजा धारकों के पति या पत्नी को अमेरिका में काम करने की अनुमति दी गई थी।
- अमेरिकी अदालत ने इस योजना को अवैध घोषित करने से फिलहाल इंकार कर दिया है।
- एच-1बी वीजा एक गैर-प्रवासी वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को विशेषज्ञता के आधार पर विदेशी कर्मचारियों को नौकरी पर रखने की अनुमति देता है।
- तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2015 में यह आदेश जारी किया था, जिसमें कुछ श्रेणियों के एच-4 वीजाधारकों खासतौर से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे एच-1बी वीजाधारकों के जीवनसाथियों को अमेरिका में रहकर काम करने की अनुमति का प्रावधान है।

क्या है एच-1बी वीजा?

- अमेरिका में रोजगार के इच्छुक लोगों के बीच एच-1बी वीजा प्राप्त करना होता है। एच-1बी वीजा वस्तुत: 'इमीग्रेशन एंड नेशनलिटी ऐक्ट' की धारा 101(a) और 15(h) के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका में रोजगार के इच्छुक गैर-अप्रवासी नागरिकों को दिया जाने वाला वीजा है।
- यह अमेरिकी नियोक्ताओं को विशेषज्ञतापूर्ण व्यवसायों में अस्थायी तौर पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है।
- एच1बी वीजा ऐसे विदेशी पेशेवरों के लिये जारी किया जाता है जो किसी खास कार्य में कुशल होते हैं। उल्लेखनीय है कि कंपनी को ही नौकरी करने वाले की तरफ से एच 1 बी वीजा के लिए इमिग्रेशन विभाग में आवेदन करना होता है।
- अमरीकी कंपनियाँ इस प्रकार की वीजा का इस्तेमाल उच्च स्तर पर कुशल पेशेवरों को नियुक्त करने के लिये करती हैं। हालाँकि अधिकतर वीजा आउटसोर्सिंग फर्म को जारी किया जाता है।

अमेरिका ने यह कदम क्यों उठाया है?

- एच 1 बी वीज़ा के प्रावधान के पीछे का उद्देश्य विशेषज्ञतापूर्ण कार्यों के लिये विदेशों से क्षमतावान लोगों को लाकर अमेरिका में रोजगार देना था। हालाँकि आउटसोर्सिंग कंपनियों पर आरोप लगता रहा है कि वे वीज़ा का इस्तेमाल निचले स्तर की नौकरियों को भरने में भी करते हैं जिससे अमेरिका में रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है।
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपने चुनावी अभियान के आरंभ के समय से ही इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाते चले आ रहें हैं और तभी यह साफ हो चुका था कि ट्रम्प सत्ता में आते ही इस संबंध में कोई न कोई सख्त कदम जरुर उठाएंगे।
- अमेरिका ने H-1B वीजा का आवेदन शुल्क बढ़ाया।
- अमेरिका ने पिछले दिनों संशोधित चयन प्रक्रिया के तहत कार्य वीजा एच-1बी आवेदन शुल्क में 10 USD (यानी 712 रुपये) की वृद्धि की है।
- अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने गुरुवार को कहा कि यह गैर-वापसी योग्य शुल्क एच-1 बी कैप चयन प्रक्रिया को याचिकाकर्ताओं और संघीय एजेंसी दोनों के लिए अधिक कुशल बनाने के लिए नए इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण प्रणाली का समर्थन करेगा।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. हाल ही में चर्चा में रहा एच-1बी वीज़ा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. एच-1बी वीज़ा एक गैर प्रवासी वीज़ा है।
2. एच-1बी वीज़ा किसी कर्मचारी को अमेरिका में 5 साल तक काम करने के लिए जारी किया जाता है।
3. अमेरिका में रह रहे हर चार एच-1बी वीज़ा धारकों में से लगभग तीन भारतीय हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2
(b) 2 और 3
(c) 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Consider the following Statements in the context of H-1B Visa recently in news-**

1. H-1B Visa in a non-migrant visa.
2. H-1B visa is issued to any professional to work for 5 years in America.
3. Almost three out of four H-1B visa holder in America is Indian.

Which of the above statements are correct?

(a) 1 and 2
(b) 2 and 3
(c) 1 and 3
(d) 1, 2 and 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: एच-1बी वीज़ा वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था का परिणाम था तो वहीं वर्तमान अमेरिकी सरकार अमेरिका फर्स्ट के नारे पर अग्रसर है, ऐसे में दोनों पक्षों में किस एक पक्ष की ओर जाना उचित नहीं होगा? इस संदर्भ में एच-1बी वीज़ा का संक्षिप्त परिचय देते हुए वर्तमान मुद्दे का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। (250 शब्द)

H-1B visa was the result of globalised economy, at the same time present American government is moving ahead on America first slogan. In such a situation opting for which side is not appropriate? In the context of this statement critically analyze the current issues and briefly introduce H-1B visa. (250 words)

नोट : 11 नवम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (c) होगा।

Comm